

सारीख
हुक्म

21/2/26 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... कार्य स्वयंभूतिमा
उपरिष्ठत..... गया
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 21/2/26
को पेश हो। B

13/2/26 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री..... कार्य श्री रूखगान
उपरिष्ठत..... क्रियागण
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 13/2/26
को पेश हो। B

12/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी बाबजूद
सूचना के उपरिष्ठत नहीं हुए। बार-बार आवाजे
लगवाई गई फिर भी वादी एवं इनके अधिवक्ता
उपरिष्ठत नहीं हुए न ही इनकी ओर से किसी
ने उपरिष्ठत की गई। अतः वादी का वाद
पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 भार. सी. ए. का
अदम इजारी अदम पैरवी में खारीज किया जाने
का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फेरल
शुमार लेकर नम्बर से कम है।

B
17/02/26

